10/8/2021

पत्रावली प्रस्तुत की। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी ने अभिवचन किया कि प्रार्थी पत्नी से तंग आकर उसके ससुराल वालों के अत्याचारों के कारण पक्षकारान को इकट्ठे रखने में कोई परिवार बनाए रखने नहीं दिया, पारिवारिक वातावरण पूरा खराब होने से अलग रहने लगा। अतः प्रार्थी का पारिवारिक जीवन होने से पारिवारिक वातावरण ठीक नहीं रहा पत्नी द्वारा दायर मुकदमे खारिज किए जाते हैं।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2021.10.28 16:40:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner